लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 069/2023 (GCMS 2023/273)	दायर दिनांक 08.09.2023	निर्णय दिनांक 18.10.2023

अनवान

प्रकाश खत्री पिता मोहनलाल खत्री निवासी हाउसिंग बोर्ड, मकान नंबर 6/63 निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 82098 19933)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 03.08.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./069/2023(सू.अ.)(27.09.2023)/682 दिनांक 08.09.023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 27.09.2023 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/271 दिनांक 26.09.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री प्रकाश खत्री पिता मोहनलाल खत्री निवासी हाउसिंग बोर्ड, मकान नंबर 6/63 निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (मोबाईल 82098 19933) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र से वांछित सूचना के समस्त बिन्दु सूचना सृजनात्मक प्रकृति की होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/141 दिनांक 18.09.2023 से अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगता कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न हैं)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरांत वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इस पर हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक/सम/141 दिनांक 18.09.2023 से प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को अधिनियम 2005 के तहत सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर(प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के पास उपलब्ध नहीं है।

अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 में सूचना के प्रकटन से छूट प्रदान की गई है। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 से वांछित सूचना सृजनात्मक है एवं प्रश्नात्मक प्रकृति की है जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी/प्रार्थी आवेदक को अवगत कराया जा चुका है कि अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो कि लो प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 का अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना चाही गई है की विषय वस्तु एवं प्रकृति प्रश्नात्मक श्रेणी की हैं, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी से सहमत हैं जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर बलहीन हैं जिससे खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 प्रेषित किया गया है, जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त हुआ है बाबत् सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज किये जाने योग्य होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **18.10.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official